

24/7/16

आदेश पत्रक

(यह अधिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

क्रमांक से तक

सं. पन् 200

प्रकार र नियम खारिज वार सं. 318/16-17

श्री कृत श्री	आदेश और परामर्शिका का इस्ताफा	आदेश पर ही गई कार्यवाई के कारे में दिवसी, तारीख
1	2	3

22/7/16

श्री रवि दुर्य पिता
 श्री मनी दुर्य सा. चतुरे
 पंचम देवरी जिला गिरिडीह द्वारा निर्मांकित न्योरे की
 जमोन के राखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दिया गया है।
 आवंदित जमोन श्री बालेश्वर सिंह
 पिता श्री स्व. हुरी सिंह सा. चतुरे
 अंचल देवरी के वजारीये केवाला नं. 6438
 दिनांक 4/06/2004 द्वारा क्रय किया गया है।
 ग्राम थाना नं. खाता नं. प्लॉट नं. रकबा

चतुरे 527	9	1045	1870
		1046	5570
		1043	3870
		<u>3</u>	<u>9870</u>

गिरिडीह जिला
 देवरी
 A.S.

पंजी 27 मे दर्ज कर आम इस्तहार निर्गत करे।
 हत्का राजस्व कर्मचारी आवेदन पत्र का स्थानीय जांच करे
 जांच प्रतिवेदन अं. नि. के माध्यम से उपस्थापित करे।
 अधिलेख दिनांक 16/8/16 को उपस्थापित करे।

लंछापरित

अंचल अधिकारी
 देवरी

अंचल अधिकारी
 देवरी

16/8/16

अभिलेख व्यवस्थापित किया गया। आप इच्छा कर निर्देश दिए गए। तस्मिन् प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसमें कोई अपवाद नहीं दिया है। ह. कर्म. / अं. नि. का बीच प्रतिवेदन देखा। इन्होंने प्रतिवेदन किया है कि प्ररगत जमीन रयती गे. छास / क्यारस खाते की है। जिसकी नपादत्री पंजी 11 के फूट सं. 51/1 पर दर्ज है एवं विवेका के नाम 174 नफस सिंहा में कायम है। जमीन भूदान भूहदबंदी बन सीका एवं सखत से बाहर है। जमीन पर क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। अर्थात् भूमि के नामांतरण हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः ह. कर्म. एवं अं. नि. के बीच प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित विवरण की भूमि का नामांतरण क्रेता

सं/अं/नि कावेरु सिंहा मा. अनुपम
 पिता/पति एन. सी. ए. ए. किया गया है।
 के नाम से कावेरु
 प्राप्त/धारा सं. खाता सं. लॉट सं. रकबा फल

खतरी	9	1045	1570	100
527		1046	3	
		1043		

संबंधित सहायक तदनुसार शुद्ध गव. निगम अं.

संस्थापति

[Signature]
 अंशुल अधिकारी
 देवरी

[Signature]
 अंशुल अधिकारी
 देवरी

शुद्धि पर निर्णय किया गया। हस्ता. अंशुल अधिकारी एवं सहायक के अन्तर् अनुपालन प्रतिवेदन है।

[Signature]
 अंशुल अधिकारी
 देवरी

एक प्रतिपत्र